।। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन पौड़ी गढ़वाल।।

पत्रांक/1377-80/का0क0/आ0बा0–सहा0 मिनी0 विज्ञप्ति/2016–17 दिनांक 22, सितम्बर 2016

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जनपद पौड़ी गढ़वाल में शासनादेश संख्या– 335/16/XVII(2 दिनांक 24, फरवरी 2009 के कम में रिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ती/ सहायिकाओ/ मिनी आंगनबाडी कार्यकर्तियों के मानदेय पदों पर चयन हेतु पात्र महिल अभ्यार्थियों से दिनांक ....17.10.2016.. तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थियों को आवेद पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धि परियोजना कार्यालय से आवेदनकर्ता को दी जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् तथा डाक/पंजीकृत डाक अथवा अन्य कि माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संल करना अनिवार्य होगा। पूर्व मं प्रकाशित विज्ञप्ति के कम में प्राप्त आवेदन मान्य नही होंगे। आंगनबाडी कार्यकर्ती को रूपये 6000. (राज्याशं रू0 3000.00 एवं केन्द्रांश 3000.00) सहायिका को रू0 3000.00 (1500 राज्यांश एवं 1500केन्द्रांश) तथा मिनी आंगनबा कार्यकर्ती को रू0– 3500.00 (रू0 2250 केन्द्रांश एवं 1250 राज्यांश) के रूप में मानदेय दिया जायेगा। परियोजनावार रिक्ति का विवरण निम्न प्रकार से है।

क0 स0	परियोजना का नाम	कार्यकत्री पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	मिनी कार्यकत्री पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	सहायिका पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	कुल रिक्त पदों की सं0
1.	खिर्सू	1 खिर्सू प्रथम	1. कलिगढ	1.टेलीफोन कलोनी 2.अपर भक्तियाना 3.गहड 4.गणेश बाजार 5.कलियासौड 6.गवाणा	
योगः–		01	01	06	08
2.	पौड़ी	1.कण्डारा 2. कमेड़ा (अनु.जा.) 3 अमकोटी 4. पूल्ड हाउस वार्ड न0–2 5. तमलाग 6. रेवड़ी मल्ली 7. काण्डई त0	–	1. केवर्स 2. कड़ाकोट (अनु.जा.) 3. हैडोधार(अनु.जा.)	
योगः–		07	–	03	10
3	नैनीडाडा	–	1. अमखोली (अनु0जा0) 2. थवाडा 3. खड़खोली (अनु0जा) 4. सैण्डली 5. देवताखेत 6. डाडात्योली 7. पटोटिया (अनु0जा0) 8.तल्लकंडाई	1. कौला मल्ला (अनु.जा.) 2. डंडधार 3. संगलिया विचला	
योगः–		00	08	03	11
4.	पोखड़ा	00	1. बौन्दर 2. महरगांव 3. पाली	1. आनन्दपुर 2. किमगडी–2	
योगः–		00	03	02	05
5	यमकेश्वर	00	1. काण्डई 2. ग्वाडी 3. ढुगांधार	00	
योगः–		00	03	00	03
6.	एकेश्वर	1. मलेठी 2. बस्यूर	1. बरसू	1. स्योली	
योगः–		02	01	01	04

22/9/16 DPO

।। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन पौड़ी गढ़वाल ।।

पत्रांक / 1377-80 / का0क0 / आ0बा0–सहा0 मिनी0 विज्ञप्ति / 2016–17 दिनांक 22, सितम्बर 2016

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जनपद पौड़ी गढ़वाल में शासनादेश संख्या– 335 / 16/XVII(2) दिनांक 24, फरवरी 2009 के क्रम में रिक्त निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ती / सहायिकाओ / मिनी आंगनबाडी कार्यकर्तियों के मानदेय पदों पर चयन हेतु पात्र महिला अभ्यार्थियों से दिनांक 17.10.2016 तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धित परियोजना कार्यालय से आवेदनकर्ता को दी जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् तथा डाक / पंजीकृत डाक अथवा अन्य किसी माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्व मं प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त आवेदन मान्य नही होंगे। आंगनबाडी कार्यकर्ती को रूपये 6000.00 (राज्याशं रू0 3000.00 एवं केन्द्रांश 3000.00) सहायिका को रू0 3000.00 (1500 राज्यांश एवं 1500केन्द्रांश) तथा मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती को रू0– 3500.00 (रू0 2250 केन्द्रांश एवं 1250 राज्यांश) के रूप में मानदेय दिया जायेगा। परियोजनावार रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क0 स0	परियोजना का नाम	कार्यकत्री पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	मिनी कार्यकत्री पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	सहायिका पद हेतु रिक्त केन्द्र का नाम	कुल रिक्त पदों की सं0
1.	खिर्सू	1 खिर्सू प्रथम	1. कलिगढ	1.टेलीफोन कलोनी 2.अपर भक्तियाना 3.गहड 4.गणेश बाजार 5.कलियासौड़ 6.गवाणा	
योगः–		01	01	06	08
2.	पौड़ी	1.कण्डारा 2. कमेड़ा (अनु.जा.) 3 अमकोटी 4. पूल्ड हाउस वार्ड न0–2 5. तमलाग 6. रेवड़ी मल्ली 7. काण्ड़ई त0	–	1. केवर्स 2. कड़ाकोट (अनु.जा.) 3. हैडोधार(अनु.जा.)	
योगः–		07	–	03	10
3	नैनीडाडा	–	1. अमखोली (अनु0जा0) 2. थवाडा 3. खड़खोली (अनु0जा) 4. सैण्ड़ली 5. देवताखेत 6. डाडात्योली 7. पटोटिया (अनु0जा0) 8.तल्लकंडाई	1. कौला मल्ला (अनु.जा.) 2. डंडधार 3. संगलिया विचला	
योगः–		00	08	03	11
4.	पोखड़ा	00	1. बौन्दर 2. महरगांव 3. पाली	1. आनन्दपुर 2. किमगडी–2	
योगः–		00	03	02	05
5	यमकेश्वर	00	1. काण्डई 2. ग्वाडी 3. ढुगांधार	00	
योगः–		00	03	00	03
6.	एकेश्वर	1. मलेठी 2. बरयूर	1. बरसू	1. रयोली	
योगः–		02	01	01	04

22/9/16
DPO

7.	बीरौखाल	1. मेलधार (अनु.जा.)2. जिवई	1. कैलाड़ 2. पटोटिया (अनु0जा0)	1.ढौड़ 2. डुमैला तल्ला (अनु.जा.)	
योगः–		02	02	02	06
8.	जयहरीखाल	00	1. बड़गांव 2. चौड़ी 3. गैडगढ़ 4. जाख मल्ला 5. घेरूवा	1. खुबाणी 2. जयहरी	
योगः–		00	05	02	07
9.	दुगड्डा	1. मो0अकरी 2. पढ्ुड अकरा 3. हल्दूखाता म0 4. जशोधपुर 5.ध्रुवपुर 6.नयागांव 7. काशीरामपुर मल्ला–7 8. भदालीखाल 9.ग्रास्टनगंज–1 10. मथाणा 11.रामड़ी 12. घमण्डपुर–1 13. घमण्डपुर–2 4.नन्दपुर–1 15. फतेहपुर 16.गोदी छोटी 17. सिताबपुर–2 18. सैलानी 19.गोविन्दनगर	1. पदमपुर 2. तेलीबाड़ा 3. त्रिलोकपुर 4. कौड़िया (सतेन्द्र नगर) 5. मानुपर 6. जानकी नगर 7. जीतपुर 8. शिवपुर–3 9. ग्रास्टनगंज 10. मोटाढाक 11. झवाणा 12. सिम्मलचौड	1. गोला मल्ला 2. कढ्ुड बड़ा 3. पदमपुर सुखरौ–2 4. बालासौड–1 5. धुराधनाई 6. फतेहपुर 7. उमरैला 8. माण्ड़ई 9.काशीरामपुर म0–4 10. काशीरामपुर म0–8	
योगः–		19	12	10	41
10.	थलीसैण	1. स्योली मल्ली 2. स्लोन–2 3. खरकासारी	1. न्यानगढ़ 2. गोदा 3. डांडखिला–2	1. सासौ 2. जैती 3. दरमोली	
योगः–		03	03	03	09
11.	रिखणीखाल	00	1. रजबौ 2. तिमलसैण	00	
योगः–		00	02	00	02
12	द्वारीखाल	1. जवाड़	1. मष्ट 2. टाटरी 3. गढ़मोला 4. तिमली 5. कढ्ुड	1.भलगांव द्वारीखाल	
योगः–		1	5	01	07
13	पावौ	1.बरसूडी	1.जिठखोली	1.सिवाल	
योगः–		01	01	01	03
14	कोट	1.फलस्वाड़ी	1.नगोटगूंठ 2. बाह बाजार 3. बागी	1.नवन (अनु0जा0)	
योगः–		01	03	01	05
15	कल्जीखाल	1. मिरचौड़ा (अनु.जा) 2.झटकण्ड़ी 3.थैर	00	1.बोरिख 2. किमोली(अनु.जा.) 3.नलई(अनु.जा.) 4.धण्डियाल 5.अणेथ(अनु.जा.) 6..गहडपल्ली (अनु.जा.)	
योगः–		03	00	06	09
महायोगः–		40	49	41	130

22/9/16
DPO

आवेदन हेतु नियम एवं शर्ते

1– न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः

(अ) आंगनबाडी कार्यकर्ती/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सभी पद हेतु सभी वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(ब) आंगनबाडी सहायिका पद हेतु अभ्यर्थिनी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद्/संस्थान से न्यूनतम कक्षा 8 परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2– आयु सीमा : आंगनबाडी कार्यकर्ती/सहायिका/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ती पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 44 वर्ष होगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले माह की पहली तारीख से की जायेगी। आयु के सम्बन्ध में अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र पर अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी ।

3– निवास : अभ्यर्थिनी को उपजिलाधिकारी द्वारा नियत उसी ग्राम/मजरे/तोक/ वार्ड का स्थाई अथवा मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस नाम से विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। विशेष परिस्थितियों में उस ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड से पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी ग्राम सभा के अन्य ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड से प्राप्त आवेदकों की नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। स्थाई अथवा मूल निवास के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिवार रजिस्ट्रर की नकल तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/परिवार रजिस्ट्रर की नकल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थी यदि ऐसे ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में निवास कर रही है जो उनके पिता/पति के निवास से भिन्न है तथा उनके लिए प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नही है, ऐसी स्थिति में विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थी को उपजिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 वर्षो से उस ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में निरन्तर निवास करने का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4– आरक्षण : बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत चार्ट के अनुसार/शासनादेश संख्या– 335 दिनांक 24 फरवरी 2009 के अनुसार समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ की बुकलेट में प्रकाशित 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के आधार पर जिन आंगनबाडी केन्द्रों/मिनी केन्द्रों को आरक्षित किया गया है उन्हे उसी वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित माना जायेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

5– वरीयता : विशेष श्रेणी के आवेदकों को दिये गये विवरण के अनुसार प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।

1– विधवा – पति की मुत्यु का प्रमाण–पत्र

2– परित्यक्ता– आवेदन की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से परित्यक्ता होने का शपथ–पत्र जो कि रू0– 10/– के स्टाम्प पेपर पर जिसमें 02 स्थानीय निवासियों के हस्ताक्षर नाम व पते के साथ ही सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य से प्रमाणित हो।

3– **तलाकशुदा**– माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश। मुस्लिम वर्ग की महिलाओं हेतु रू0– 10/– के स्टाम्प पेपर पर 02 गवाहों के हस्ताक्षर सहित शपथ–पत्र।

4– कार्यरत सहायिका– आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्य करने का सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र।

5– बी0पी0एल0 अभ्यर्थिनी– खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त बी0पी0एल0 आई0डी0 अथवा तहसीलद्वार द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 15976.00एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 21206.00 का वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

6– कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती – आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्य करने का सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र।

7– कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती – आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्य करने का सम्बन्धित बाल विकास पृरियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र।

8– आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि...................... की सायं 5.00 बजे तक होगी । आवेदन पत्रों के साथ समस्त प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होंगा अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा । अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दशा में आवेदन पत्र जमा नही किये जायेगें । आवेदन पत्र हाथों –हाथ सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में जमा करने होगे। निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन पत्र मान्य होगा । अपूर्ण भरे गये आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नही होगें । विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

8– शासनादेश संख्या 391 दिनांक 11 अगस्त 2006 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.11.2011 के अनुपालन में यदि कोई ग्राम पंचायत प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य आंगनबाडी कार्यकर्ती/सहायिका/मिनी

कार्यकर्ती के पद हेतु आवेदन करती है, तो सम्बन्धित का आवेदन पत्र अनर्ह माना जायेगा। साथ ही उसका कोई भी दावा मान्य नही होगा।

नोट–(1) आंगनबाडी कार्यकर्ती / मिनी कार्यकर्ती / सहायिका अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त प्राविधान तभी मान्य होगा यदि पूर्व में उन्हे किसी शिकायत / कार्य न करने के आधार पर मानदेय पद से हटाया न गया हो।

(2) यदि निर्धारित अन्तिम तिथि को कोई आवेदन पत्र जमा किया जाता है तथा उसमें कमियॉ पाई जाती है तो अभ्यर्थिनी / आवेदन जमाकर्ता को कमियों का निराकरण कर पुनः आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से दो दिन तक का अतिरिक्त समय दिया जायेगा । तदोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

निषेद्य – एक आंगनबाडी केन्द्र के दोनो पदों (आंगनबाडी कार्यकर्ती / सहायिका) पर एक ही परिवार के 02 सदस्यों का चयन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

आवेदन प्रारूप

आंगनबाडी कार्यकर्ती / सहायिका / मिनी कार्यकर्ती के चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

बाल विकास परियोजना.. **जनपद का नाम**........................

नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाऐं।

1. मानदेय पद का नाम..

2. आंगनबाडी / मिनी आंगनबाडी केन्द्र का नाम ....

3. आवेदक का नाम : श्रीमती / कुमारी..

4. पिता / पति का नाम : श्री...

5. जन्मतिथिः दिनांक.................................माह..............................वर्ष..........................

6. आयु (विज्ञप्ति प्रकाशित होने वाले माह की प्रथम तारीख को) वर्ष.............माह..............दिन..................

7. जातिः **(अनु0जा0, अनु0ज0जा0, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य)**..

8. शैक्षिक आर्हता का विवरण : **(समस्त अंक पत्र / प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)**..........

क0स0	शैक्षिक योग्तया	बोर्ड / वि0वि0 का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	आठवी					
2	हाईस्कूल					
3	इण्टरमीडिएट					
4	स्नातक					
5	स्नातकोत्तर					
6	अन्य					

9. निवास स्थान एवं ग्राम............................मजरा...............तोक................वार्ड..................... (जिस केन्द्र के लिए आवेदन किया गया है उस ग्राम / मजरा / तोक / वार्ड का स्पष्ट उल्लेख करना होगा उसके लिए सम्बन्धित ग्राम / मजरा / तोक / वार्ड में निवास का प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करनी होगी।)

10. स्थाई पता ....

....पिन कोड...........................

11. पत्र व्यवहार का पता ....पिन कोड.....................

12. संलग्नों का विवरण : (निम्नलिखित विवरणों में से आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रति अवश्य संलग्न करें)

1– निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तथा उससें उच्च प्रत्येक परीक्षा की अंक सूची / प्रमाण पत्र।

2– आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

3– सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी बी0पी0एल0 आई0डी0 / तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र

4– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिवार रजिस्टर की नकल।

5– नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित परिवार रजिस्टर की नकल अथवा वार्ड में निवास का प्रमाण–पत्र।

6– उपजिलाधिकारी द्वारा जारी स्थाई / मूल निवास प्रमाण–पत्र।

अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक

2/9/16 DPO

घोषणा

मैं कुमारी / श्रीमती ....पुत्री / पत्नी ....निवासी ग्राम../ मजरा.../ तोक............................../ वार्ड................ ....आंगनबाडी / मिनी आंगनबाडी केन्द्र...बाल विकास परियोजना ....जनपद ....हेतु आवेदन किया है, एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि, मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई सूचनाऐं तथ्य एवं प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य एवं सूचनायें छुपाई नही गई है। यदि मेरे द्वारा दिये गये कोई तथ्य / सूचनायें गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाय। भविष्य में अथवा मानदेय पद पर नियुक्ति पाने के पश्चात् यदि कोई तथ्य / सूचनाऐं गलत पाई जाती है तो मानदेय पद पर नियुक्ति भी निरस्त कर दी जाय तथा इस सम्बन्ध में मेरा कोई भी दावा स्वीकार / मान्य नही होगा।

अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक

(हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा)

2/9/16

(एस0के0त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0स0 / उपरोक्तानुसार एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल।

3–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल।

4– उपरोक्त समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्रों को प्रतिदिन प्राप्त कर रजिस्टर में अंकन करने के साथ ही इस बात का ध्यान रहें कि, आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार ओवरराईटिंग / कटिंग न हो सुनिश्चित करें।

2/9/16

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।